MESSAGES FROM THE LOK SABHA

(I) **The Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2010**

(II) **The Representation of the People (Amendment) Bill, 2010**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

(I)

"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 31st August, 2010, agreed without any amendment to the Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2010, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 25th August, 2010."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 31st August, 2010, agreed without any amendment to the Representation of the People (Amendment) Bill, 2010, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 30th August, 2010."

————————

SPECIAL MENTIONS

Demand to implement 27 per cent reservation for OBCs in all the States and Union Territories of the country

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश): महोदय, संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत 1979 में गठित मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भारत सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का आदेश जारी किया और इन वर्गों की सूची में कम शामिल करने या अधिक शामिल करने या नहीं शामिल करने की शिकायतों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम अप्रैल, 1993 में अधिनियमित हुआ। जनवरी, 2006 में संविधान के अनुच्छेद 15 के संशोधन और जनवरी, 2007 में केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान अधिनियम के अधिनियमन के साथ केन्द्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों की सूचीबद्धता केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों में भी प्रवेश हेतु संगत हो गई है।

उत्तर प्रदेश सहित कुछ प्रदेशों में मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर पिछड़ों को नौकरियों एवं पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ मिला, परंतु, अभी भी कई प्रदेशों व केन्द्र शासित प्रदेशों में 27 प्रतिशत आरक्षण की बात तो छोड़िए, इन प्रदेशों में अभी तक पिछड़ी जातियों की पहचान भी नहीं की गई, जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, मेघालय, झारखंड व लक्षद्वीप आदि। खेद का विषय है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुए करीब दो दशक बीत चुके हैं, परंतु उपरोक्त प्रांतों के पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रक्रिया का लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में सरकार एक ठोस नीति बनाकर उचित कार्रवाई करे, जिससे सभी राज्यों में समान रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह उत्तर प्रदेश की तरह देश के सभी राज्यों व केन्द्र शासित राज्यों में 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाना सुनिश्चित करे।